न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक, जिला जयपुर

ठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

र्थना पत्र संख्या :– 13/2018 दायर तारीख :– 25.01.018

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

–– प्रार्थी

बनाम

1. मंगलचन्द पुत्र पन्ना
2. रामेश्वर पुत्र अमरा
3. गोरधन पुत्र काना
4. लालाराम पुत्र काना
5. दानाराम पुत्र काना
6. मन्नी पत्नि काना
7. नानूराम पुत्र बालूराम
8. भूरी पुत्री बालूराम
9. रूकमा पुत्री बालूराम
10. राधा पुत्री बालूराम

समस्त जाति कुमावत नि0 कोढ़ी तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

–– अप्रार्थीगण

उपस्थित : राज पेरोकार प्रार्थी
अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार पारीक अप्रार्थी सं0 1
अधिवक्ता श्री भंवरलाल वर्मा अप्रार्थी सं0 3 लगा0 7

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not official

प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ऐ0

निर्णय

निर्णय दिनांक : 8-7-19

1. तहसीलदार कि0रेनवाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0ऐ0 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कोढ़ी की चालू जमाबन्दी संवत् 2073–76 के खाता सं0 81 में ख0नं0 219, 220 व 238 किता 3 कुल रकबा 33 बीघा 2 विस्वा में प्रार्थी के सहहिस्सेदारों रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/6, गोरधन, लालाराम, दानाराम पि0 काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/6, नानूराम पुत्र बालू हि0 1/6 के स्थान पर क्रमश: हिस्सा 1/36, 1/36, 1/36 शुद्व करने बाबत् प्रार्थना पत्र व जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें ग्राम कोढ़ी की जमाबन्दी संवत् 2036–39 के खाता सं0 45 में ख0नं0 219, 220, 238, 246 किता 4 रकबा 50 बीघा 8 विस्वा में बालू, अमरा, काना पि0 बिरमा हि0 1/12 दर्ज था परन्तु जमाबन्दी संवत् 2057–60 के खाता सं0 63 में उक्त खसरा नम्बरों में बालू, अमरा, काना पि0 बिरमा हि0 1/2 हो गया उपरोक्त खातेदारों का हिस्सा 5/12 अधिक दर्ज हो गया। उक्त अशुद्व हिस्सें में नामान्तकरण सं0 282 दिनांक 26.01.01 से अमरा पुत्र बिरमा की विरासत से रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/6 नामान्तकरण स्वीकार का नोट अंकित हुआ तथा नामान्तकरण सं0 323 दिनांक 16.12.04 से काना पुत्र बिरमा की फौती पर गोरधन, लालाराम, दानाराम पि0 काना, मन्नीदेवी पत्नि काना कुम्हार हि0 1/6 स्वीकार का नोट अंकित है नामान्तकरण सं0 341 दिनांक 25.02.05 से बालू पुत्र बिरमा की फौती पर नानूराम पुत्र बालूराम, भूरी,

उप खण्ड अधिकारी
सॉंभर लेक

Scanned by CamScanner

रूकमा, रूमा पुत्रियां बालूराम हि0 1/6 स्वीकार का नोट अंकित है
संवत् 2036-39 के खाता सं0 45 के अनुसार गलत हिस्सों में विरासत
है। चालू जमाबन्दी संवत् 2073-76 के खाता सं0 81 में गोरधन पुत्र
1/24 राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोधनेर दानाराम पुत्र कानाराम हि0
पुत्र बालू हि0 1/6 राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोधनेर
अमरा हि0 1/6 लालाराम पुत्र काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/
रिकोर्ड में दर्ज है। परन्तु जमाबन्दी संवत् 2036-39 के खाता सं0 45
संवत् 2057-60 के खाता सं0 63 के अनुसार चालू जमाबन्दी संवत्
खाता सं0 82 खं0नं0 219, 220, 238 किता 3 कुल रकबा 33 बीघा
गोरधन पुत्र काना हि0 1/24 राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोधनेर
कानाराम हि0 1/24 नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/62 राहिन आई0सी0
बैंक शाखा जोधनेर रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/6 लालाराम पुत्र काना
काना हि0 1/12 के स्थान पर गोरधन पुत्र काना हि0 1/144 राहिन
शाखा जोधनेर दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/144 नानूराम पुत्र बालूराम
आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोधनेर रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/
पुत्र काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/72 शुद्ध किया जाना अपेक्षित है।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से
अवधेश कुमार पारीक ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं0 3 ल
ओर से वकील श्री भंवरलाल वर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी सं0 3
की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रा0पत्र मंगलचन्द
पुत्र रघुनाथ जाति कुमावत अकेले ने पेश किया है जबकि महादेव के अन्य
(मृतक) के पुत्रों छीतर व श्रवण व रघुनाथ (मृतक) के पुत्र पोखर पुत्र
पन्नाराम पुत्र रघुनाथ के पुत्र रामदेव व नानू जो सहखातेदार काश्तकार है
प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किये है एवं मंगलचन्द का गत 70 वर्षो से प्र
अन्तर्गत दर्ज भूमि पर कोई कब्जा नहीं है एवं जो भी हिस्सा मंगलचन्द का
तेजूलाल पुत्र श्योनाथ को विक्रय कर दिया लिहाजा मंगलचन्द का कोई ले
नहीं है। अप्रार्थीगण के कब्जें में आराजी खं0नं0 238 रकबा 20 बीघा, खं0
रकबा 9 बीघा 13 विस्वा व खं0नं0 220 रकबा 3 बीघा 9 विस्वा इन दोनों
बीघा भूमि पर इस तरह 25 बीघा भूमि है। इन्हीं भूमियों के बारे में एक
239/17 व स्थगन प्रा0पत्र 75/17 सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर सांभ
विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त मंगलचन्द प्रतिवादी सं0 8 है। एवं उक्त वाद
22.11.17 को प्रस्तुत होकर कई पेशिया नियत हो चुकी है एवं आगामी पेशी
12.03.18 की नियत है एवं उसमें उपरोक्त तेजूलाल, रामकरण पुत्रान श्योन
दयालराम, चन्दालाल एवं लक्ष्मण पुत्रान रामनाथ ने आजतक कोई जवाब प्रस्तु
किया है एवं उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्र सांभरलेक, जिला
क्रंमाक 983/83 दिनांक 24.11.17 के अन्तर्गत स्थगन प्राप्त है एंव वादग्रस्त
एस0बी0आई शाखा जोधनेर, आई0सी0आई0सी0आई बैंक शाखा जोधनेर कॉर्प
बैंक शाखा आसलपुर के यहा रहन रखी हुई है जिनको इस प्रा0पत्र में
संयोजित नहीं किया गया है इस कारण भी यह प्रा0पत्र मेन्टेनेबल नहीं है। मंग
के प्रा0पत्र पर क्रमशः कुछ सहखातेदारान के भी हस्ताक्षर है जिनके नाम छिग
गोपाललाल, सुवालाल, नानूराम, मांगूराम, मोहनलाल व भागीरथ है उसमें से
02.07.1995 को बहामी बंटवारा हुआ था उसमें क्रमशः गुमानराम, छिगनार
गोपाललाल स्वंय के हस्ताक्षर अंकित है एवं नोलाराम के पुत्र लालाराम
हस्ताक्षर है एवं लालाराम के भाई गोपी के पुत्रान मोहन व भागीरथ पुत्रान गोपी
सुखाराम के उपरोक्त प्रा0पत्र पर हस्ताक्षर किये है जबकि उसके चाचा लालार
बहामी बंटवारा फर्द दिनांक 02.07.95 पर हस्ताक्षर अंकित है उक्त बाहमी बंटवा

Scanned by CamScanner

छाया प्रति संलग्न है। रिपोर्ट तहसीलदार कि0रेनवाल ने तैयार की है वो भी उपरोक्त मुकदमें वाद सं0 239/17 व स्थगन प्रा0पत्र सं0 75/17 में तहसीलदार कि0रेनवाल रेसपोडेन्ट सं0 70 पक्षकार संयोजित किये हुये है इसके बावजूद तहसीलदार कि0रेनवाल ने अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में बिना समुचित सुनवाई यह रिपोर्ट तैयार करके प्राकृतिक न्याय का हनन किया है जबकि वो उपरोक्त दोनों मुकदमों में पक्षकार थे एवं न्याय का तकाजा है कि किसी भी पक्ष की अनुपस्थिति में उसको बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई किये कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की जा सकती। उपरोक्त भूमि पर मनवट के आधार पर विभाजन दिनांक 02.07.1995 को होने के उपरान्त भूमि अप्रार्थीगण को मिली है अतः हिस्सा गलत दर्ज नहीं है अप्रार्थीगण मौके पर काबिज है। आराजी खं0नं0 219, 220, 238 में अप्रार्थीयान का 25 वीघा भूमि पर कब्जा है एवं अन्य खं0नं0 239, 240 के साथ 238 को मिलाकर जाव बनाया हुआ है जिसमें 2 कुएं गणेशाम, नोलाराम के पिता चोखा, बिरमाराम, गंगाराम पुत्रान मन्नाराम का हिस्सा बराबर है, जमीन में नहीं है जहा कुएं बनाये वहा बिरमाराम जी का हिस्सा ज्यादा है एवं गंगाराम जी का कम है। खं0नं0 379 में गंगाराम ओर बिरमाराम दोनों के बराबर हिस्सा था लेकिन जमीन गंगाराम के नाम थी इसमें बिरमाराम ने बसावट करके पुख्ता मकानात तामीर कर रखे है। बिरमाराम के हिस्सें की खाली भूमि मंगलचन्द वगै0 ने ले ली लेकिन अप्रार्थी जो पुख्ता मकानात तामीरात कर मकानात निर्मित कर निवास कर रहे है उन्हें परेशान कर रहे है। खं0नं0 238, 239, 240 में बिरमाराम के ज्यादा हिस्सा था तो वहा बिरमाराम व गंगाराम दोनों ने हिस्सें बराबर किये है गंगाराम ने यहा की पाति खं0नं0 379 में दी थी गंगाराम में 379 में से भी ले ली ओर कुंए बनाये थे वहा पर भी भूमि पर कब्जा नहीं छोड़ना चाहते एवं नाजाजय कब्जाक रना चाहते है लिहाजा तहसीलदार कि0रेनवाल की जांच रिपोर्ट अस्वीकार है। अप्रार्थी सं0 1 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश किया जिसमें अंकित किया कि आराजी खं0नं0 219, 220, 238 किता 3 कुल रकवा 33 वीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम कोढ़ी तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित होना स्वीकार है। विवादित आराजी में खातेदार बालू, अमरा, काना पि0 बिरमा का जमावन्दी संवत् 2036 से 2039 में 1/12 हिस्सा सही रूप से दर्ज था परन्तु जब संवत् 2057 से 2060 की जमावन्दी तैयार की गइ तो सहवन से व लिपिकीय त्रुटि से खातेदार बालू, अमरा, काना पि0 बिरमा का हि0 1/12 के स्थान पर 1/2 गलत रूप से दर्ज हो गया। खातेदार बालू, अमरा, व काना के फौत होने पर उनके वारिसान के नाम गलत रूप से रामेश्वर पुत्र अमरा का 1/6 हिस्सा, गोरधन, लालाराम, दानाराम पि0 काना, मन्नीदेवी पत्नि काना का 1/6 हिस्सा व नानूराम पुत्र बालू का 1/6 हिस्सा दर्ज हो गया जबकि उनका 1/6 हिस्सें के स्थान पर 1/36, 1/36 हिस्सा ही दर्ज होना चाहिए, पटवार हल्का व तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा जो प्रस्ताव दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है सही होने से स्वीकार है व मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार कि0रेनवाल के दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है व स्वीकार किये जाने योग्य है। अप्रार्थी नानूराम, रामेश्वर वगै0 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर जिलाधीश सांभरलेक के यहा वाद सं0 239/17 दायर किया जाना कथन किया गया है उक्त वाद विभाजन आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है उक्त वाद में अप्रार्थी नानूराम वगै0 द्वारा खातेदारान के गलत हिस्सें दर्ज होने के आधार पर ही प्रस्तुत कर दिया गया है तथा वाद में दर्ज हिस्सेनुसार सभी खातेदारान का हिस्सा एक यूनिट में नहीं बैठता है अप्रार्थी नानूराम ने अपने नाम दर्ज गलत हिस्सें के सम्बन्ध में अथवा अपने नाम वर्तमान दर्ज हिस्सें के सम्बन्ध में घोषणा कराये जाने का वाद प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में विभाजन का वाद प्रस्तुत हो मात्र से खातेदारान का हिस्सा दुरूस्त किये जाने की कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती है। अतः तहसीलदार कि0रेनवाल के द्वारा प्रस्तुत दुरूस्ती प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना आवश्यक है।

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे नकल जमाबन्दी संवत् 2073–2078 तथा अप्रार्थी सं0 3 लगा0 7 ने अपने जवाब के समर्थन में नकल ज दिनांक 23.11.17 व 14.05.18 की प्रतिलिपि, नकल सहायक क तहसीलदार को लिखा गया पत्र दिनांक 24.11.17, नकल भामी बंटव दिनांक 28.06.95, हिस्सेदारी भूमि का भामी बंटवारे की प्रति दिनांक तहसीलदार कि0रेनवाल को लिखा गया पत्र दिनांक 02.05.18, नकल रिपोर्ट दिनांक 29.05.18 की प्रतिया पेश की है।

4. वकील अप्रार्थी सं0 3 लगा0 7 ने न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे0 (16) 200 825, आर0बी0जे0 (16) 2009 पेज सं0 69, आर0आर0डी0 1990 पेज आर0आर0डी0 1992 पेज सं0 304, आर0आर0डी0 1994 पेज आर0आर0डी0 1997 पेज सं0 504, आर0आर0डी0 1997 पेज आर0आर0सी0 1999 पेज सं0 307, आर0आर0टी0 2002(1) पेज डी0एन0जे0 (एस0सी0)1997 पेज सं0 227 की नजीरें पेश की है तथा प्रार्थी न्यायिक दृष्टांक आर0आर0टी0 2018(2) पेज सं0 1514, आर0आर0टी0 201 सं0 1124, आर0आर0टी0 2010(2) पेज सं0 789 नजीरें पेश की है।

5. अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गयी। अप्रार्थी सं0 1 के अधिवक्ता किया कि विवादग्रस्त आराजी में जो अशुद्वि हुयी है वह चौसाला जमाबन्दी हुयी है संवत् 2036–39 की जमाबन्दी में खं0नं0 219, 220, 238 व 246 अमरा, काना पुत्र बिरमा का 1/12 हिस्सा था परन्तु लिपिकीय त्रुटि से संवत् 2057–2060 में उक्त 1/12 हिस्सें के स्थान पर 1/2 हिस्सा सहवन हो गया जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है उक्त प्रकरण तहसीलदार कि द्वारा सेगरिग्रेशन प्रकिया के तहत प्रस्तुत किया गया है इस आधार पर हिस्से को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है वर्तमान जमाबन्दी में सभी पक्षक दर्ज हिस्से का कुल योग करते है तो सभी पक्षकारान का हिस्सा एक यूनिट 1.41 यूनिट होता है जो कि अपने आपमें गलत है कानूनन सभी खातेदारों का मिलाने पर एक यूनिट में हिस्सा होना आवश्यक है साथ ही यह भी कथन कि अप्रार्थी सं0 2 लगा0 10 की ओर से जो वाद प्रस्तुत किया गया है वह मात्र कि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया है तथा विचाराधीन प्रकरण 136 एल0 के तहत प्रस्तुत है जो कि समरी प्रोसेडिंग की श्रेणी में आती है जब तक पक्ष के हिस्सें सही रूप से दुरूस्त नहीं हो जाते है तब तक पक्षकारान के मध्य कि किया जाना भी उचित नहीं होगा ऐसे में तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा प्रस्तुत स्वीकार किया जाकर मुताबिक तहसीलदार कि0रेनवाल रिपोर्ट हिस्से दुरूस्त जाना आवश्यक है। अप्रार्थी सं0 3 लगा0 7 की ओर से कथन किया गया तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वह अप्रार्थी को बिन तैयार की है तथा यदि पक्षकारान के हिस्से गलत दर्ज है तो पक्षकारान घोष वाद प्रस्तुत कर ही हिस्से दुरूस्त करवा सकता है अप्रार्थी द्वारा न्यायालय स कलक्टर सांभरलेक के यहा वाद भी प्रस्तुत कर रखा है ओर उक्त वाद में उप में यह कार्यवाही कानूनन चलने योग्य नहीं है व वाद के निस्तारण तक इस प्र की कार्यवाही स्थगित किये जाने योग्य है।

6. विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उप दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं सस न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भली भांति स्पष्ट है कि जो जमाबन्दी 2036–39 की तैयार की गयी उसमें बालू, अमरा, काना पि0 बिरमा हिस्सा 1 दर्ज है तथा उसके पश्चात् जो जमाबन्दी संवत् 2057–60 तैयार हुयी उसमें व्यक्तियों का हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/2 दर्ज हो गया एवं तत्पश्चात् वि

Scanned by CamScanner

में जो नामान्तकरण तस्दीक हुये वे 1/2 के अनुसार ही दर्ज होते गये चूकिं उक्त हिस्सा बिना किसी न्यायालय के आदेश के दर्ज हुये है जो कि एक लिपिकीय त्रुटि की श्रैणी में आते है जिन्हें दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जहा तक विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन होने का कथन है उक्त वाद मात्र विभाजन के सम्बन्ध में है तथा जब तक पक्षकारान का हिस्सा दुरूस्त नहीं हो जाता है तब तक कानूनन विभाजन होना भी असंम्भव है ऐसी स्थिति में तहसीलदार कि0रेनवाल के द्वारा जो प्रा0पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

निर्णय

प्रार्थना पत्र 136 ले0रे0ऐ0 तहसीलदार कि0रेनवाल द्वारा अपवादित खाता के रूप में रिकोर्डेड खातेदारों के हिस्सें में शुद्वि हेतु पेश किया गया है। राजस्व रिकोर्ड से स्पष्ट है कि हिस्सों में दुरूस्ती न्यायोचित है क्योकिं राजस्व रिकोर्ड में खातेदारों के गलत हिस्सें चौशाला जमाबन्दी तैयार करने के दौरान सहवन से दर्ज हुए है अतः उक्त प्रा0पत्र भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 का स्वीकार किया जाकर आराजी खं0नं0 219, 220, 238 कुल किता 3 कुल रकबा 33 बीघा 2 विस्वा वाकै ग्राम कोढ़ी तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में गोरधन पुत्र काना हि0 1/24 राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर, दानाराम पुत्र कानाराम हि0 1/24, नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/6 राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा जोबनेर रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/6, लालाराम पुत्र काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/12 के स्थान पर गोरधन पुत्र काना हि0 1/144 राहिन एस0बी0आई0 शाखा जोबनेर, दानाराम पुत्र काना हि0 1/144, नानूराम पुत्र बालूराम हि0 1/36 राहिन आई0सी0आई0सी0आई0 शाखा जोबनेर, रामेश्वर पुत्र अमरा हि0 1/36, लालाराम पुत्र काना, मन्नीदेवी पत्नि काना हि0 1/72 शुद्व किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.7.19 **को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक